न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
द संख्या :– 121/2022

शीर्षक

रामप्रताप
जयसिंह
धारासिंह
बच्चन सिंह } पुत्रान बंशीधर

सीमा पुत्री बंशीधर
समस्त जाति गुर्जर निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

गुलाब देवी पत्नी प्रहलाद सहाय
गोपीराम पुत्र रामसहाय
नोलाराम पुत्र मांग्या
प्रभातराम पुत्र मांग्या
प्रहलाद सहाय पुत्र हीराराम
श्योराम पुत्र रामहाय
सरदारमल पुत्र रामसहाय
सुल्तान पुत्र मांग्या
हरजीराम पुत्र मांग्या
समस्त जाति गुर्जर निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
0. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज.
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 28/6/23

. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 1932/0.0400, 1935/0.5500, 1984/0.26, 1989/0.5 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ भू.अभि.नि. क्षेत्र मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार

. यह कि उपरोक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार है अपने अपने हिस्से की भूमि वादीगण आराजी ख0 न0 1935/0.55 है0 पर व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत आपस की सहमति से अन्य ख0 न0 1932/0.04, 1984/0.26, 1989/0.85 है0 पर सम्मलित व पृथक थक काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है अपने अपने हिस्से के अनुसार राज लगान अदा करते है।

. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का कोई वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है व अपने पने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है आराजी मुतनाजा सम्मलित खातेदारी की मि है जिसके प्रत्येक इंच में वादीगण का हिस्सा है।

.यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है। व बिना किसी अधिका के ादीगण को उसके उपरोक्त हिस्से से जबरन बेदखल करना व स्वयं जबरन कब्जा कर बिना कानूनी टवारा विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करना व बिना बंटवारा भूमि को विक्रय करना चाहते है जसकी उन्होने 7 रोज पूर्व वादीगण को स्पष्ट धमकी दी वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्सो के नुसार कानूनी बंटवारा कराने व उसका राज लगान निर्धारण करवाने बाबत कहा तो उसके भी इनकार हो ाये इसलिये वादीगण का अंब प्रतिवादीगण के सम्मलित में काबिज रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है। इसलिये वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाना व उसका राज लगान निर्धारण करवाना चाहता है जिसके लिये भी यह वाद पत्र पेश है।

5. यह कि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषाधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रश्नगत भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य करने व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व बिना कानूनी बंटवारा कराये अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तानन्तरण करने व राजस्व

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

ार्ड में परिवर्तन करवाने में सफल हो जावेगे जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी व पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

ह कि इस वाद के विवाद का कारण वाद पत्र की खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि से इन खण्डो में वर्णित सार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होने व खण्ड सं0 2 में वर्णित अनुसार वादीगण व वादीगण अपने अपने हिस्सो के अनुसार सम्मलित व पृथक पृथक काबिज होने व खण्ड सं0 3 में वर्णित सार उक्त भूमि का आज तक कोई वैधानिक बंटवारा नहीं होने व खण्ड सं0 4 में वर्णित अनुसार वादीगण द्वारा धमकी देने व वादीगण द्वारा अर्सा 7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से भूमि का अपने अपने हिस्सो अनुसार कानूनी बंटवारा कराने व राज लगान निर्धारण करवाने की कहने पर उन द्वारा इंकार होने के लस्वरूप उत्पन्न होकर अन्दर अवधि पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल ख0 नं0 1932/0.0400, 1935/0.5500, 1984/0.26, 1989/0.85 है0 कै ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ भू.अभि.नि. क्षेत्र मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज से अनुसार नियमानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व बोर्ड के नियमो के अन्तर्गत सरस नरस मौवे पर काबिज अनुसार कानूनी बंटवारा कराया जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारित किया वे व जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में कराया जाकर वादीगण का कब्जा करवाया जावे।

था वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण उनके नौकर प्रतिनिधि, ऐजन्ट, व ानापन्नो आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त की बंटवारे में आयी भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार ी मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त उसका पूर्ण रूप से पयोग व उपभोग करने देवें

क्रण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण बाद तामील कोई पस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी दिनांक 01.02.2023 को प्रकरण को थमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी।

हसीलदार शाहपुरा के पत्रांक भू.अ./2023/ 885 दिनांक 13.03.2023 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु मंहगाई राहत कैंप ाशनगढ में रखा गया वादी स्वयं उपस्थित तथा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुये दावा न्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर क्षकारान के हस्ताक्षर है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं होने से यह जाहिर है कि पक्षकारान बंटवारा रिपोर्ट सहमत है। उक्त विवेचन के आधार पर दावा अंतिम डिकी किये जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 0 1932/0.0400, 1935/0.5500, 1984/0.26, 1989/0.85 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का शनगढ भू.अभि.नि. क्षेत्र मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर थक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

. जयसिंह पुत्र बंशीधर हि0 2/9 राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर धारासिंह बच्चन ामप्रताप पुत्रगण बंशीधर हिस्सा 6/9, सीमा पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/9 जाति गुर्जर सा0 देह के आराजी ख0 न0 1935 रकबा 0.55 है0 , 1989/1 रकबा 0.0166 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

. गोपीराम पुत्र रामसहाय हि0 1/3, श्योराम पुत्र रामसहाय हि0 1/3, सरदारमल पुत्र रामसहाय हि0 /3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के आराजी ख0 न0 1989/2 रकबा 0.5666 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. हरजीराम पुत्र मांग्या हि0 1/5 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर झांझू छाजू बाबूलाल पुत्रगण प्रभातराम भंवरी धोली सन्ती पुत्रिया प्रभातराम हि0 1/5 राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा मनोहरपुर , अर्जून भीवाराम झबरू सीताराम बाबूलाल पुत्रगण नोलाराम सजना सुणी हंसा पुत्रिया नोलाराम हि0 1/5 जाति गुर्जर गुलाब देवी मीरा देवी पुत्रिया सुल्तान हि0 1/20 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा, बरजी पत्नी सुल्तान हि0 1/40 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा , गाडाराम गौकुल रामचन्द्र रामपाल सुण्डाराम पुत्रगण सुलतान हि0 5/40 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा, गुलाब देवी पत्नी प्रहलाद सहाय हि0 1/10 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर प्रहलाद सहाय गुर्जर पुत्र हिराराम हि0 1/10 बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर के आराजी ख0 न0 1932 रकबा 0.04 है0 , 1984 रकबा 0.26, 1989/3 रकबा 0.2666 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। ानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी ह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

A.C. & E.M. (F.T.)
(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
SHAHPURA (JAIPUR)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

संख्या :– 121/2022

शीर्षक

रामप्रताप
जयसिंह
धारासिंह
बच्चन सिंह
} पुत्रान बंशीधर

सीमा पुत्री बंशीधर
समस्त जाति गुर्जर निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

गुलाब देवी पत्नी प्रहलाद सहाय
गोपीराम पुत्र रामसहाय
नोलाराम पुत्र मांग्या
प्रभातराम पुत्र मांग्या
प्रहलाद सहाय पुत्र हीराराम
श्योराम पुत्र रामहाय
सरदारमल पुत्र रामसहाय
सुल्तान पुत्र मांग्या
हरजीराम पुत्र मांग्या
समस्त जाति गुर्जर निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज.
.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 28.6.23

तः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 1932/0.0400, 1935/0.5500, 1984/0.26, 1989/0.85 है0 वाके ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का शिनगढ भू.अभि.नि. क्षेत्र मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर थक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

. जयसिंह पुत्र बंशीधर हि0 2/9 राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर धारासिंह बच्चन ामप्रताप पुत्रगण बंशीधर हिस्सा 6/9, सीमा पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/9 जाति गुर्जर सा0 देह के आराजी ख0 न0 1935 रकबा 0.55 है0 , 1989/1 रकबा 0.0166 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

. गोपीराम पुत्र रामसहाय हि0 1/3, श्योराम पुत्र रामसहाय हि0 1/3, सरदारमल पुत्र रामसहाय हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के आराजी ख0 न0 1989/2 रकबा 0.5666 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. हरजीराम पुत्र मांग्या हि0 1/5 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर झांझू छाजू बाबूलाल पुत्रगण प्रभातराम भंवरी धोली सन्ती पुत्रिया प्रभातराम हि0 1/5 राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा मनोहरपुर , अर्जून भीवाराम झबरू सीताराम बाबूलाल पुत्रगण नोलाराम सजना सुणी हंसा पुत्रिया नोलाराम हि0 1/5 जाति गुर्जर गुलाब देवी मीरा देवी पुत्रिया सुल्तान हि0 1/20 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा, बरजी पत्नी सुल्तान हि0 1/40 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा , गाडाराम गौकुल रामचन्द्र रामपाल सुण्डाराम पुत्रगण सुलतान हि0 5/40 राहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा, गुलाब देवी पत्नी प्रहलाद सहाय हि0 1/10 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर प्रहलाद सहाय गुर्जर पुत्र

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

ाराम हि0 1/10 बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर के आराजी ख0 न0 1932 रकबा 0.04 है0 , 1984 बा 0.26, 1989/3 रकबा 0.2666 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। ानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी ह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 28/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला जयपुर)

A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
ाद पत्र के लिए स्टाम्प ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प दर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस ाक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस ादेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ड		जोड़	